

**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, DEPARTMENT OF COMMERCE  
SEEPZ SERVICE CENTRE BLDG, MIDC CENTRAL ROAD, ANDHERI (EAST),  
MUMBAI – 400 096**

F. No. SEEPZ-SEZ/Customs/Wt-diff/34/2018-19

49


Date : 05 .10.2018

**PUBLIC NOTICE**

SUB:-Weight difference in export consignment – reg.

It has been reported that weight variance/discrepancies due to variation in actual gross weight from the manifested weight was found in the export consignments of valuable cargo (gems & jewellery) being carried by Cathay Pacific Airways at Hong Kong Customs.

All units are hereby directed to exercise utmost care and ensure that there is no difference between the actual gross weight & net weight of the export consignment of valuable cargo (gems & jewellery) and the gross weight & net weight declared in the Shipping Bill. Correct gross and net weight should be declared on all the documents even in case of repacking and/or change in packing material or any other reason.

  
(Ashish Mishra)  
Specified Officer  
SEEPZ-SEZ, Mumbai

Copy to:-

- 1) All Gems & Jewellery Units
- 2) SGJMA
- 3) Notice Board
- 4) IT Section for uploading on website.
- 5) Office Records

विकास आयुक्त कार्यालय  
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग  
सीपज़ सर्विस सेंटर बिल्डिंग एमआइडीसी सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व),

फा.सं.सीपज़ - सेज़/कस्टम/डब्लूटी-डिफ/34/2018-19

49


दिनांक 05.10.2018

सार्वजनिक सूचना

विषय:- निर्यात परेषण में भार अंतर के संबंध में ।

यह सूचित किया गया है कि कैथे पैसिफिक एयरवेज़ द्वारा ले जाए गए मूल्यवान कार्गो के निर्यात परेषणों में हांगकांग कस्टम द्वारा भार अंतर / कमियों के कारण घोषित भार से वास्तविक सकल भार में अंतर पाया ।

सभी यूनिटों को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि मूल्यवान कार्गो (रत्न एवं आभूषण) के निर्यात परेषणों के वास्तविक कुल भार तथा निवल भार में कोई अंतर न हो तथा लदान बिल में कुल भार तथा निवल भार घोषित किया जाए । रिपैकिंग तथा / अथवा पैकिंग सामग्री में परिवर्तन अथवा अन्य किसी कारण जैसे मामले में भी सभी दस्तावेज़ों पर सही कुल भार तथा निवल भार घोषित किया जाए ।

  
31/10/18  
(आशीष मिश्र)

विनिर्दिष्ट अधिकारी

सीपज़ - सेज़

प्रतिलिपि:-

- 1) सभी रत्न एवं आभूषण यूनिट
- 2) एसजीजेएमए
- 3) सूचना पट्ट
- 4) आइटी अनुभाग - बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए
- 5) कार्यालय अभिलेख